राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	507/2017 रामजीलाल बनाम हरिनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/06/2013 को दावा पेश कर कथन किया कि पड़ोसी रेस्पो. की भूमि पर कब्जा करना चाहता है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया एवं दिनांक 09/05/2017 को दावा डिक्री कर दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09/05/2017 के पश्चात दिनांक 23/06/2017 को संशोधित डिक्री जारी की गयी, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत नही की गयी है एवं ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधन करते हुए मात्र प्रतिवादी को पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 09/05/2017 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पर एवं अपील में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं उसके परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से निकाले गये निष्कर्ष में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से जिस निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसमे संशोधन कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गयी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता को निरन्तर आवाजे लगवाये जाने पर भी वे अनुपस्थित रहे है। अत: अपील के गुणावगुण पर कोई बल नही होने एवं अदम पैरवी व अदम हाजरी में अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 4/9/25 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	